



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37920-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3844/2026

वीरेंद्र और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार मौर्य

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि दिनांक 29.09.2025 की एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, जिसके आधार पर थाना सेवरही, जिला कुशीनगर में बी.एन.एस. की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 333, 109 के तहत केस क्राइम नंबर 0302/2025 दर्ज किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें किसी गलत इरादे के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है; अतः, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने इस प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियार से किए गए हमले के कारण, पीड़ितों - राम नरेश, गुजेसर, राजेश और दिलीप को गंभीर चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है।
6. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है; अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'तेलांगना राज्य एवं अन्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जेलानी' (2017) 2 एससीसी 779 और 'नेहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जो (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय में, आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य आदि मामलों में निर्धारित विधि (कानून) के आलोक में, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियार से किए गए हमले के कारण, पीड़ितों - राम नरेश, गुजेसर,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राजेश और दिलीप को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है; तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है; इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार, यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाएगा।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”